

# FORM NO. III


फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत नायब तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)

सरकार ..... बनाम ..... जयराम वगै०

किस्म मुकदमा- भू० राजस्व अधि० 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-13 सन्-2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-13/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.05.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम पाखर 2 भूमि ख०न० 158 रकबा 0.0010 है० राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै०मु०रास्ता पर गैर सायलान जयराम वगै० पुत्र रामप्रसाद जाति मीना निवासी पाखर- 2 द्वारा गोबर डालकर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को राजस्थान भू०-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। तामिल नोटिस प्राप्त होने पर भी गैर सायलान उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय में एक तरफा कार्यवाही की गई जिससे गैर सायलान का अतिक्रमण सिद्ध हुआ।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायलान का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायलान को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 0.04 रूपये का 50 गुणा 2 रूपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखली, वसूली हेतु आई०एल०आर०/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> तहसीलदार मण्डावर (दौसा)</p>	